दिनांक 29.01.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी में संधारित है ।

मनरेगा-

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजना एवं मनरेगा मद् की राशि का अंकेक्षण अब नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक द्वारा किया जायेगा । वर्तमान में चाडटेड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जा रहा है । इस बीच झारखण्ड के छः जिलों में मनरेगा योजनाओं की अंकेक्षण नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के दल द्वारा किया गया जिसमें नौ बिन्दुओं पर कतिपय त्रुटियाँ पाई गई है जो विभाग को प्रतिवेदित है । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण दल द्वारा डुब्लिकेट वर्क कोड़, डुब्लिकेट जॉब कार्ड,विलम्ब से जॉब कार्ड निर्गत, मस्टर रॉल निर्गत के पूर्व उपयोग अभिलेख में खाता एवं प्लौट संख्या का त्रृटिपूर्ण अंकित का मामला दृष्टि में लाया गया है । उपायुक्त द्वारा नियंत्रक एवं लेखा महारीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उठाये गये त्रृटियों का शत् प्रतिशत् की जाँच कर त्रृटि पाये जाने पर उसका मार्जन करा लिया जाए ताकि त्रृटिमार्जन हो जाए । एवं आने वाले समय में सी0ए0जी0 के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण के दौरान कोई त्रृटि नहीं पाये ।

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई । स्वीकृत सभी योजनाओं के प्रारम्भ नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई । राशि व्यय एवं एक0आई0एस0 की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि सभी अवशेष योजनाओं का कार्य एक सप्ताह के अन्दर प्रारम्भ करायें । यदि कार्य प्रारम्भ कराने में कोई कठिनाई है या विवाद हो तो वैसे योजनाओं को रद्ध करने का प्रस्ताव दें ।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इस जिले को इस वित्तीय वर्ष के अवशेष माह में कम से कम 2400.00 लाख व्यय करना है इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी जाए । इसी क्रम में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड

विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मजदूरों के माँग के अनुसार सभी पंचायतों का कार्य हेतु प्राक्कलन/अभिलेख उपलब्ध करायें ताकि योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सके । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि यदि मजदूरों/अनुसूचित जाति/जनजाति/ सीमांत कृषक/ लघु कृषकों द्वारा कूप योजना की मांग की जाती है तो प्रत्येक पंचायतों से कम से कम 5 एवं अधिक से अधिक 10 कूपों का प्रस्ताव 08.02.2013 तक उपलब्ध करायें ताकि 15-272013 तक स्वीकृति दी जा सके ।

पुरानी योजनाओं की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इस जिले में 5402 कूपों में कार्य प्रारम्भ था जिसमें 5268 कूप पूर्ण हुए हैं । अवशेष ऐसे कूप जिसकी खुदाई 10 फीट तक हो गई है एवं कोई विवाद नहीं है, धंसा हुआ नहीं है तो वैसे कूपों में कार्य प्रारम्भ काकर ऐसे कूपों की भौतिक स्थिति एवं योजना का नाम उपलबध कराना सुनिश्चत किया जाए ।

योजना में राशि का एम0आई0एस0 की समीक्षा के कम में प्रत्येक प्रखण्डों को प्रति दिन निम्न प्रकार से राशि व्यय करने एवं एम0आई0एस0 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया -

क0	प्रखण्ड का नाम	राशि व्यय हेतु लक्ष्य (लाख में)
1	चतरा	4.00
2	गिद्धौर	1.50
3	हण्टरगंज	7.00
4	ईटखोरी	3.00
5	कुन्दा	1.50
6	पत्थलगड़ा	1.50
7	मयुरहण्ड	2.50
8	प्रतापपुर	14.50

9	सिमरिया	4.00
10	टण्डवा	4.00
11	लावालोंग	2.00
12	कान्हाचटटी	2.50

निदेश दिया गया कि इस कार्य में शिथिलता बरती नहीं जाए । शिथिलता बरतने वाले रोजगार सेवक/कम्प्युटर ऑपरेटा एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्य का मूल्यांकन कराकर चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जाऐगी ।

EFMS-

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इस जिला को 1 अप्रैल 2013 से मनरेगा योजना को EFMS- Systeam से जोड़े जाने का प्रस्ताव है । इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार जॉब कार्डधारी को CBS based बैंक का खाता खोलवाना सुनिश्चित किया हो । इसके साथ हीं साथ हाउस होल्ड के प्रत्येक महिला का अलग-अलग खाता हो ताकि EFMS- Systeam से जोड़ा जा सके ।

इंदिरा आवास योजना एवं आवास सोफ्ट

इन्दिरा आवास योजना के लिए लाभुकों का डाटा बेस आवास सॉप्ट योजना की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में कुल 219 आवासों में शत् प्रतिशत् लाभुकों का इन्ट्री आवास सॉप्ट् में हुआ है तथा मात्र लगभग 26 प्रतिशत् व्यय डाटा इन्ट्री हुआ है जो काफी दुखद स्थिति है । निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर आवासों का आवास सोफ्ट में डाटा इन्ट्री करायें एवं प्रगति लायें । उपायुक्त द्वारा बताया कि इस जिले में लगभग 2000 अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य प्राप्त होने वाला है इसके लिए निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक पंचायत में कम से 15 योग्य लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से कराकर सूची सुरक्षित रखा जाए ताकि लक्ष्य प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान किया जा सके ।

डी0सी0 विपत्र

डी0सी0 विपत्र की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल कार्यालय में काफी डी0सी0 विपत्र लंबित है । निदेश दिया गया कि शीघ्र डी0सी0 विपत्र उपलब्ध करायें ताकि सामंजन के लिए व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को भेजा जा सके । राज्य सरकार इस विषय पर काफी गंभीर है अन्यथा लंबित डी0सी0 विपत्र कार्यालय प्रधान के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । साथ हीं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य सूत्र विभागों को विधायक मद्, मुख्यमंत्री विकास योजना एवं अन्य मद् में व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

जेडा-

जेड़ा से प्राप्त अनुदानित सोलर लालटने वितरण की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायतों में उपलब्ध कराये गये सोलर लालटने की उपयोगिता प्रमाण-पत्र आज तक अप्रापत है जिसके कारण द्वितीय किस्त के लिए अधियाचना नहीं भेजा गया है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 03-02-2013 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना

एस0ज0एस0वाई0 की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया इसकी प्रगति काफी धीमी है । निदेश दिया गया कि सभी बैंक शाखा प्रबंधकों/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं एल0डी0एम0 के साथ बैठक रख जाए एवं निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध समीक्षा की जाए ताकि अपेक्षित प्रगति हो सके ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पेंशन योजना समयबद्ध योजना नहीं है यह अनवरत चलने वाली (Universal programme) योजना है, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं होती है । इसलिए जो भी इस योजना के लिए पात्रता

रखते हों यथा बी0पी0एल0 धारी हो, अयु 65 वर्ष है उनका आवेदन-पत्र को अनुशंसा के साथ अनुमण्डल कार्यालय में भेजें ताकि उनकी स्वीकृति दी जा सके । इसके साथ-साथ बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को प्रत्येक मा के 7 वीं0 तारीख तक उनके खाता में Online पेंशन राशि हस्तानान्तरण कर देना है । इसके लिए आवश्यक है कि सभी पेंशनधारियों का Legacy data उपलब्ध हो ताकि पेंशन की राशि उनके खाता में Online किया जा सके ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक--121---/जि0ग्रा0, दिनांक 5.2.2013

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,चतरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा/ सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- जिला योजना पदाधिकारी/ आई0ए0पी0 नोड़ल पदाधिकारी/जिला सूचना वर्तमान सूचना पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी लिंकेज बैंक शाखा प्रबंधक/ जिला अग्रणी प्रबंधक,चतरा को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक--121---/जि0ग्रा0, दिनांक 5.2.2013

प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
चतरा।